



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276451
CG-DL-E-23092026-276451

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4927]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4927]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2026

का.आ. 5118(अ).— जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 270 (अ), दिनांक 14.02.2012 के द्वारा राजस्थान राज्य में स्थित एनएच-23 (पुराना-एनएच-11बी) के मौजूदा चैनेज किमी 0.00 से किमी 85.520 तक के लालसोट- करौली खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जो इसमें आगे 'प्राधिकरण' के रूप में उल्लिखित है) के सुपुर्द कर दिया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 (जो इसमें आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा राजस्थान राज्य में एनएच-23 (पुराना-एनएच-11बी) के डिजाइन चैनेज किमी 33.000 से किमी 126.520 (मौजूदा चैनज किमी 0.000 से शुरू और किमी 85.520 पर समाप्त) तक के लालसोट- करौली खंड के 10.383 किमी निवल सड़क खंड की लंबाई के उपयोग के लिए [तालिका -2] और 1.470 किमी (0.147 किमी की लंबाई वाली) (तालिका-3) की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के चार लेन के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर पर तथा 78.905 किमी निवल सड़क खंड लंबाई

[तालिका -2] और 0.75 किमी (0.075 किमी की लंबाई वाली) [तालिका -3] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाली) के पेड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दर के 60% पर नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर शुल्क उदगृहीत करती है तथा प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त शुल्क के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क का आधार दर (रु. में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छः धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत की जाने वाली शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट निवल सड़क लंबाई हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजा में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है [60 मीटर अधिक संरचनाओं को छोड़कर]	दर, जिस पर शुल्क संदेय है
राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के थाली गांव में एनएच-23 के डिज़ाइन चैनेज किमी 77+870 पर।	78.905	पेड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	10.383	चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
शुल्क प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)	दर, जिस पर शुल्क संदेय है।
राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले के थाली गांव में एनएच-23 के डिज़ाइन चैनेज किमी 77+870 पर।	0.075*	0.75	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	0.147*	1.47	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

*ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)	समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक			
1.	35.006	35.081	पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन बड़ा पुल	0.075	0.750
2.	66.470	66.536	चार लेन आरओबी	0.066	0.660
3.	87.700	87.781	चार लेन आरओबी	0.081	0.810
कुल पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन संरचना की लंबाई				0.075	0.750
कुल चार लेन संरचना की लंबाई				0.147	1.470

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00 रु. (तीन सौ साठ रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4		
भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. शुल्क प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चलाए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।
6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, उक्त नियमों के नियम 10 में विनिर्दिष्ट शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।
8. शुल्क की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।
9. यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत **127.82 करोड़ रु.** है। प्राधिकरण द्वारा प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एनएच-12014/90/2021-आरओ जयपुर / ई-201534]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2026

S.O. 5118(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 270(E) dated 14.02.2012 issued under section 11 of the National Highway Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from chainage Km 0.000 to 85.520 of NH-23 (Old NH-11B) of Lalsot – Karoli Road in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee at rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section of length 10.383 Km [Table 2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) 1.470 km [Table-3] (having length of 0.147 km) for use of four lane and at 60% of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road section of length 78.905 kms [Table 2] and for equivalent structure length (having length more than 60 m) 0.75 km [Table-3] (having length of 0.075 km) for use two lane with paved shoulders on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below, of Lalsot – Karoli section from Km 33.000 to 126.520 (Existing Ch. Starting from 0.000 and Ending at Km. 85.520) of NH-23 (Old NH-11B) in the State of Rajasthan and authorises Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) (Excluding length of structure > 60) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 77.870 design Chainage of NH-23 at Thali village in Sawai Madhopur district in the state of Rajasthan	78.905	60% of the base rates mentioned in Table-1 above, for use of 2L+PS section
	10.383	100% of the base rates mentioned in Table-1 above, for use of 4 or more lane section

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza, by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
At km 77.870 design Chainage of NH-23 at Thali village in Sawai Madhopur district in the state of Rajasthan	0.075*	0.75	60% of the base rates mentioned in Table-1 above, for use of 2L+PS section
	0.147*	1.47	100% of the base rates mentioned in Table-1 above, for use of 4 or more lane section

*The details are as under:

Sl. No.	Chainage		Type of Structure	Length (Km)	Equivalent Road length (in km)
	From Km	To Km			
1.	35.006	35.081	2 lane with paved shoulder Major Bridge	0.075	0.750
2.	66.470	66.536	4 lane ROB	0.066	0.660
3.	87.700	87.781	4 Lane ROB	0.081	0.810

Total Length of two lane with paved shoulders Structure	0.075	0.750
Total Length of 4 Lane Structures	0.147	1.47

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs 360.00 (Rupees Three Hundred Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 127.82 crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. NH-12014/90/2021-RO Jaipur/E-201534]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.